

5-4-22

पत्तावली पेडा हुई) वकुलाप उपस्थित) प्रार्थी
ने दृष्टांतक जॉच रिपोर्ट जाएत हो चुकी है। वदत
जाए पत्त लक्षण की गई। पत्तावली वास्ते दोपेरा जाए
पत्त दिनांक 6.4.22 को पेडा हो।

6.4.22

पत्तावली पेडा हुई) वकुलाप उपस्थित) पत्तावली का
दृष्टांतपूर्वक अवलोकन किया गया एवं वदत परमूतन
किया गया। वदत के दौरान प्रार्थी वकील ने प्रार्थन
पत्र में द्रिकित तथ्यों का दोहराया तथा कथन किया कि
भूमि खतरा नम्बर पुराने 55 जिसके तथे खतरा नम्बर
82,83 वने प्रार्थी की भूमि का पुराना नम्बरा निर
स्तन 1952 में कोई डोट्ट रास्ता नहीं था लेकिन सन्
1979-80 का नम्बरा बनाया तब प्रार्थी की भूमि की उत्तरी
सीमा के मन्दर गलत तरीके से डोट्ट लाईन में रास्ता



दशांगि है। अतः उत्तरी क्षेत्र या डोटेड लाइन रास्ते को दुबल किया जावे। अर्थात् अपने पक्का अर्चना पत्र तथा एक पंच रिपोर्ट में अंकित अर्थों को दोहराया तथा कथन किया कि वर्तमान एन ८३ के उत्तर दिशा या डोटेड रास्ता अंकित है जबकि गत भू-उपलब्ध के समय उक्त एन ८३ के पुराना एन ५५ से जिसमें उत्तर दिशा में स्थित भेद या कोई रास्ता अंकित नहीं है। अतः एन ८३ के उत्तर दिशा में अंकित डोटेड रास्ता हलक किया जाना उचित है। नक्शा क्रम १९५२-५३ के पुराना एन ५५ के उत्तरी क्षेत्र या डोटेड लाइन अंकित नहीं है तथा नक्शा क्रम १९७९-८० में नये एन ८३ के उत्तरी क्षेत्र या डोटेड लाइन अंकित का ही गई। यह फैसला सुभाषी के द्वारा तथा एक पंच रिपोर्ट में भी अंकित किया है कि एन ८३ के उत्तर दिशा में अंकित डोटेड लाइन रास्ता हलक किया जाना उचित है उक्त विवेचन के अर्थात् का अर्चना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

संक्षेप

अर्थात् का अर्चना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अर्थात् की गत पत्रों के अति लंबा नम्बर ८२,८३ का नक्शा क्रम १९७९-८० का नक्शा पंच नक्शा क्रम १९५२ के अनुसार किये जाने का संक्षेप दिया जाता है तथा उत्तरी क्षेत्र या डोटेड लाइन रास्ते को दुबल किया जाता है। पत्रावली फिलहाल हलक होकर नम्बर के क्रम से तथा फाजिल पत्र है।

अथ है